बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना—15, दिनांक— 16 दिसम्बर, 2014

बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय आशुटंकक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014

सं०सं०—3/स्था०—02 (सं०नि०)—57/2014 का 2039/भारतीय—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय स्थापना के आशुटंककों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं —

1.<u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ</u> ।— (1) यह नियमावली "बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय आशुटंकक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014" कहलायेगी ।

(2) यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2.<u>परिभाषाएँ</u> ।— इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "विभाग" से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ;

(ख) 'संवर्ग" से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशुटंकको का संवर्ग ;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग;

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

(ड.) "क्षेत्रीय कार्यालय" से अभिप्रेत है विभाग के अधीनस्थ वे सभी कार्यालय जो सचिवालय से संलग्न कार्यालय न हों।

3. <u>संवर्ग की संरचना</u> ।— (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले आशुटंकको के साथ, वर्त्तमान में विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस सम्वर्ग में शामिल हो जायेंगे।

(2) यह संवर्ग मुख्य अभियंता स्तरीय होगा।

(3) विभिन्न कोटि के आशुटंकक की संख्या का आकलन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बल के आधार पर होगा।

(4) आशुटंकक के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय—समय पर बढ़ाई या घटायी जा सकती है।

(5) आशुटंकक सवर्ग के पद—सोपान निम्नरूपेण विहित किए जायेगे :—

पदनाम	
आशुटंकक ग्रेड—III	मूल कोटि
आशुटंकक ग्रेड—II	प्रथम प्रोन्नति स्तर
आशुटंकक ग्रेड—I	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार (वित्त विभाग) द्वारा इन पदों के लिए समय—समय पर निर्धारित किया जाएगा।

4. **नियुक्ति की प्रक्रिया ।–**

(क) आशुटंकक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडीयट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष के अलावे आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर टंकण मे दक्षता होगी।

(ख) न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित होगी।

(ग) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कोटि–वार वास्तविक रिक्तियों के आधार पर आयोग को सूचना उपलब्ध कराते हुए अधियाचना भेजेंगे।

(घ) आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक एवं व्यवहारिक दक्षता जॉच के आधार पर एक मेघा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अर्हक प्राप्तांक आयोग द्वारा विभाग से परामर्श के पश्चात किया जायेगा। आशुलेखन जॉच के लिए अर्हक गति 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता के लिए यह 30 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर टंकण में की–डिप्रेशन प्रतिघंटा 8000 होगी। सफल होने के लिए, आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा।

5. **परिवीक्षा अवधि।–** नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी, जो दो वर्षों के लिये होगी। अगर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी की, कार्य अनुपालन के आधार पर, मूल्यांकित सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनकी परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। अगर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी की कार्य अनुपालन के आधार पर मूल्यांकित सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो उसे सेवान्मोचित कर दिया जायेगा।

6. **प्रशिक्षण।–** परिवीक्षा अवधि में कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किसी अन्य संस्थान के मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

7. **विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि।– (1)** संवर्ग के कर्मियों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(2) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जॉच के लिये होगी, जिसमें आशुलेखन एवं टंकण/कम्प्यूटर की अर्हक गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर टंकण में की–डीप्रेशन प्रतिघंटा 8000 होगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी।

(3) नियुक्त कर्मी परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण पूरा करने, कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किए जायेंगे।

8. **प्रोन्नति।**– **(1)** संवर्ग में संपुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति ग्रेड–III से ग्रेड–II एवं ग्रेड–II से ग्रेड–I में सम्पुष्टि एवं दक्षता–सह–वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी। प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति समिति का गठन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित कालावधि पूरी करने पर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति विचारणीय होगी।

9. **आरक्षण।**– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 एवं इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर,.विहित नियमावली एवं रोस्टर, नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों पर लागू होंगे ।

10. **पदस्थापन।**– नियुक्त आशुटंककों का पदस्थापन मुख्य अभियंता के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

11. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होगें।

12. जल संसाधन विभाग, समय–समय पर, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात ऐसा सामान्य/विशेष निदेश जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो, जारी कर सकेगा।

13. **निरसन एवं व्यावृति।**– **(1)** इस संवर्ग से संबंधित सभी पूर्व नियमावली / आदेश एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली / आदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई उस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–3/स्था०–02 (सं०नि०)–57/2014 का 2039/पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3 / स्था०–02 (सं०नि०)–57 / 2014 का 2039 / पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित कोषागार / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3 / स्था०–02 (सं०नि०)–57 / 2014 का 2039 / पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / सभी अभियंता प्रमुख / संयुक्त सचिव (प्रबंधन) / निदेशक, भू–अर्जन एवं पूनर्वास / सभी उप सचिव (प्रबंधन) / सभी अवर सचिव (प्रबंधन) / सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

---

16 दिसम्बर, 2014

स0–3 / स्था०–02 (सं०नि०)–57 / 2014 / 2040 / बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय आशुटंकक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग।

The 16th December, 2014

The Bihar Water Resources Department Field Steno Typist's Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2014

N0.-3/Astha-02-(S. Ni.)-57/2014-2039-In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment, promotion and other service conditions of the Steno typist at field establishment of Water Resources Department.

1. ***Short title, extent and commencement.*** - (1) These "Rules" may be called Bihar Water Resources Department Field Steno Typist's Cadre (Recruitment and Service Condition) Rules, 2014.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Definition.***- In these rules, unless otherwise required in the context-

(a) "Department" means the Water resources Department;

(b) "Cadre" means the cadre of Steno typist working in the field offices of Water Resources Department.

(c) "Appointing Authority" means the Chief Engineers of Water Resources Department;

(d) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission;

(e) "Field establishment" means all establishment of the department, which are not offices attached to the Secretariat.

3. ***Constitution of the Cadre.***- (1) Employees already appointed on regular basis and working at present on the posts of Steno-typist/Stenographer in the field offices of the Department shall be deemed to be automatically included in this cadre along with those Steno typist to be appointed under these rules.

(2) The Cadre shall be the Chief Engineer Level.

(3) Calculation of number of Steno typist of different categories shall be on the basis of their strength sanctioned by the State Government.

(4) Number of sanctioned strength of Steno typist may be increased/decreased the State Government, from time to time.

(5) Chain of Posts of Steno typist cadre shall be prescribed in the following manner:-

Steno typist	Grade III	Basic Category
Steno typist	Grade II	1st promotion
Steno typist	Grade I	2nd promotion

The pay scale of above will be the same as may be determined by Government (Finance Department) from time to time, for these posts.

4. ***Procedure of Recruitment*** -(1) Minimum educational qualification for appointment to the post of Steno typist Grade III shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent from The Board recognized by State or Central Governm

besides, competency in stenography, typing and competency in computer typing.

(2) The minimum age limit shall be 18 years and the maximum age limit shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

(3) The category wise requisition shall be sent to the Commission by the Appointing authority every year on the basis of actual vacancies.

(4) The Commission shall prepare a merit list of the candidates on the basis of minimum qualifying marks obtained in the written Competitive Examination and practical skill test and send its recommendation to the Appointing Authority. The syllabus for Written Competitive Examination and minimum qualifying marks shall be determined by the Commission after consultation with the department. The qualifying speed for shorthand test shall be 80 words per minute and for typing and computer competency, it shall be 30 words per minute on typewriter and 8000 key depressions per hour in computer typing. For being successful, more than 10% errors in the short hand test and 1.5% errors in typing will not be permissible.

5. Probation Period.- The appointment shall be made on probation which shall be for two years If the evaluated service of the employee, appointed on probation on the basis of work performance and conduct is not found satisfactory, his probation period may be extended for one year. If the service evaluated on the basis of performance of work and conduct of the employee, appointed on probation is not found satisfactory even during the extended period, he/she shall be discharged from service.

6. Training .- In probation period, the employee will have to participate in the training program of modern office practice in the Administrative Training Institute or any other Institute recognized by the State Government.

7. Departmental Examination and Confirmation.-(1) It will be compulsory for all the employees of the cadre to pass the Hindi Noting and Drafting Examination. It will be compulsory also to pass the Departmental Examination conducted each year by the Central Examination Committee, Board of Revenue.

(2) The Departmental Examination shall be to test the competency in shorthand, typing and computer, in which qualifying speed shall be 80 and 30 words per minutes and 8000 key depressions per hour, respectively. In case of failure in the Departmental Examination, further increment, after the first increment, shall be with held till passing the Departmental Examination.

(3) Appointed persons shall only be confirmed in this cadre after successful completion of Probation period, completion of training and passing in computer competency examination and Departmental Examination.

8. Promotion.- (1) Promotion of the Steno typist confirmed in the cadre shall be from Grade III to Grade II and from Grade II to Grade I on the basis of Merit-cum-Seniority, on the recommendation of Departmental Promotion Committee. The Promotion committee for promotion shall be constituted by the Department of Water Resources.

(2) On completion of KALAWADHI determined by the General Administration Department, from time to time, promotion will be considerable from one grade to another.

9. Reservation. -The provisions of the Bihar Reservation of vacancies in posts and services (for Schedule Caste, Scheduled Tribe and other Backward Class) Act, 1991 and the Rules and roster as prescribed there under by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointments to and promotions.

10. Posting.- Posting of Steno Typists shall be made in the field offices under the control of the Chief Engineer.

11. - Matters for which provisions has not been made in these Rules, the provisions of relevant service code/Rules/Resolutions/instructions of the government shall be applicable to them.

12.- Water Resources Department may after consultation with Law Department, issue such general/special orders which is not in consistent with the provisions of these rules and essential to rectify the difficulties coming in implementation of any provision of these Rules.

13.- ***Repeal and Savings -*** **(1)** All previous rules/orders relating to the cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/Orders shall be deemed to be done or taken under these rules as if these rules were come in the force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor,
Sd./-
Dipak Kumar Singh.
Secretary to Govt.,
Water Recourses Department.

Memo N0.- 3/Astha-02-(S. Ni.)-57/2014 ka 2039 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy Forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna with request to publish this notification in extraordinary issue of the Bihar Gazette and to send its five hundred copies to this department.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-02-(S. Ni.)-57/2014 ka 2039 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/Finance Department, Bihar, Patna/ All Departments/All Divisional Commissioner/Concerned Treasury/ Registrar General High Court/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/C.M. Secretariat/Secretary, BSSC, Patna.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-02-(S. Ni.)-57/2014 ka 2039 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014

Copy forwarded to P.S. to Minister WRD/P.S. to Secretary/All Engineer in chief/Joint Secretary (Management)/ Director, Land Acquisition and Re-habilitation/All Deputy Secretary (Management)/All Under Secretaries/All Chief Engineer, WRD, Bihar.

16.12.14
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.